

प्रेमक,

श्रीम. प्रकाश प्रसाद
जी.पी.एस. स्कूल,
जिला शिक्षा विभाग ।

सेवा में,

श्रीम. राज्य शिक्षा विभाग,
जिला शिक्षा विभाग,
जिला शिक्षा विभाग,

विज्ञापन 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 30 7 2004

विषय:-

राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक वर्ग की लोरी, कक्षा की सीटों/बेंचों/बेडों/बेचों के संबंध में अनुपपत्ति प्रमाण पत्र देने की सूचना है।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कठिन का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीटों/बेंचों/बेडों/बेचों की संबंधिता हेतु अनुपपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 11 विद्यालय की पंजीकृत सौंपावटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायगा ।
- 12 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र0 मा0 शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वार्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबंधिता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वा प्रिसेज नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबंधिता प्राप्त होने की तिथि से 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

151

संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

161

कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

171

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

181

विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।

191

उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2-

प्रतिबद्ध यह भी होना कि विद्यालय में शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यकताओं का पालन 6 महीने में पूर्ण कराये जायेंगे ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भद्रीय,

**विश्व प्रकाश मुद्रा :
संयुक्त तय्यार ।**

पू०संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **अराव ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **कानपुर ।**
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **समाधिप राधिका रतन उग्रवाल मशी, टोली, कानपुर ।**
- 6- गार्ड फुल ।

आज्ञा

**विश्व प्रकाश मुद्रा :
संयुक्त तय्यार ।**